

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
 (दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ईमेल : aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- :- F3(ख)(से.नि)अलेसे II / II 07

दिनांक :- 11/02/2020

आदेश संख्या : 296 / 2019-20

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(6) वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अन्तर्गत निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से (मध्याह्न पश्चात्) राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क.सं	लिंक नम्बर	मेरिट/बैच	नाम सलेअ-II सर्वश्री	जन्मतिथि	से.नि.तिथि
1	2	3	4	5	6
1	4216	429/88	कृष्ण कुमार शर्मा	29-04-1960	30-04-2020
2	5063	510/88	मदनलाल स्वामी	13-04-1960	30-04-2020
3	2150	437/90	राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल	08-04-1960	30-04-2020
4	1147	DGS/89	अरविन्द कुमार शर्मा	15-05-1960	31-05-2020
5	6191	DGS/90	सुमन्त शर्मा	11-05-1960	31-05-2020
6	3576	422/92	मंगतराम	25-06-1960	30-06-2020
7	5359	456/86	मुकेश कुमार गुप्ता	05-06-1960	30-06-2020
8	3192	38/92 Sp	लक्ष्मीनारायण कोली	19-06-1960	30-06-2020
9	3923	451A/90	भंवरलाल शर्मा	16-06-1960	30-06-2020
10	5004	355/88	भोलाशंकर शर्मा	11-06-1960	30-06-2020
11	5672	865/86	नन्दकिशोर शर्मा	01-07-1960	30-06-2020
12	3733	166/92	ओम प्रकाश शर्मा	01-07-1960	30-06-2020
13	5361	DGS	पुरुषोत्तम लाल पंचोली	01-07-1960	30-06-2020
14	553	632/83	अनिल कुमार जैन	10-07-1960	31-07-2020
15	3687	123/92R	मेधराज दाधीच	17-07-1960	31-07-2020
16	6029	676/88	नन्दलाल गुर्जर	05-07-1960	31-07-2020
17	5729	255/90	सुनिल दत्त माथुर	20-07-1960	31-07-2020
18	2458	421/88	गजानन्द मथुरिया	01-08-1960	31-07-2020
19	6199	DGS/90	सुबीर चटर्जी	20-08-1960	31-08-2020
20	2153	468/90	राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित	12-09-1960	30-09-2020
21	3497	133/92	कमलेश त्रिवेदी	07-11-1960	30-11-2020
22	2614	413/94	राजेन्द्र कुमार चौधरी	01-01-1961	31-12-2020
23	4601	143/94	चत्तर सिंह राजपुरोहित	15-01-1961	31-01-2021
24	2151	438/90	रमेश चन्द गुप्ता	28-01-1961	31-01-2021
25	4283	492/94	दिलीप कुमार पालीवाल	27-02-1961	28-02-2021

26	5659	586/88	सुभाषचन्द पारीक	15-02-1961	28-02-2021
27	5045	432/88	मधुसूदन शर्मा	01-03-1961	28-02-2021

वित्त (नियम) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या 13 पर अंकित श्री पुरुषोत्तम लाल पंचोली एवं 20 पर अंकित श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित के अतिरिक्त अन्य के विरुद्ध आज तक :-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उपरोक्त अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 में से राजकीय आवास में अधिवासित कार्मिकों के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर राजकीय आवास को रिक्त करना अनिवार्य है।

नोट:- सेवानिवृत्त होने वाला अधिकारी जिस विभाग से सेवानिवृत्त हो रहा है, को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित विभाग से राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 के नीचे दिये गये सेवानिवृत्ति आदेश के प्रारूत-6 के बिन्दु 2(1,2) की पूर्ति कर इस विभाग को भिजवायें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

दिनांक :- 11/02/2020

क्रमांक:- :- F3(ख)(से.नि)अलेसे 11/1107

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
4. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
.... को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश के जारी होने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित/ प्रस्तावित हो अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती है हो तो अविलम्ब इसकी सूचना संबंधित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवायें जिससे उचित कार्यवाही की जा सके।
5. कोषाधिकारी
6. श्री, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, कार्यालय
7. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
8. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेत।
9. डीपीसी / जांच / अलेसे-1/अलेसे-111 / कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन / निजी पत्रावली / गार्ड फाईल।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)